बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांकः– 23/9/25

एस० ओ० दिनांक–

बिहार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम परामर्शदात्री पर्षद की अनुशंसा के आलोक में बिहार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा–5 की उपधारा (2) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा–3 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा–5 की उपधारा(1) के खण्ड (बी) के अधीन तथा बिहार के राज्यपाल पर्यवेक्षीय/लिपिकीय कामगारों की न्यूनतम मजदूरी को कुशल मजदूर/श्रमिक के समान करने की घोषणा करते है। यह अधिसूचना दिनांक–01.10.2025 से प्रभावी होगी।

(संख्या–4/ M.W-40-14/2025 श्र0सं0– 54)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

22.9.25

(राजीव रंजन)

संयुक्त सचिव।

अधिसूचना

पटना, दिनांक–

एस0ओ0 दिनांक– का अँग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(संख्या–4/एम0डब्लू0–40–14/2025 श्र0सं0–55)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

22.9.25

(राजीव रंजन)

संयुक्त सचिव।

Notification

Patna, Date:- 23/9/25

S.O. Date-

In pursuance of the recommendation of Bihar Minimum Wages Advisory Board in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section-3 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) read with sub-section (2) of section-5 of the said Act and under clause (b) of subsection (1) of section-5 of the said Act, the Governor of Bihar is pleased to make the Minimum wages of Supervisor/Clerical category of Workers shall be fixed equal to that of skilled labourer. It shall come into force the date-01-10-2025.

(No.-4/M.W-40-14/2025 Sh.No.-54)
By order of Bihar Governor,
22.9.25
(Rajeev Ranjan)
Joint Secretary.

ज्ञापांक–संख्या–4/ M.W-40-14 / 2025 श्र0सं0– 55 पटना, दिनांक– 23/9/25

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0 / –
(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–संख्या–4/ M.W-40-14 / 2025 श्र0सं0– 55 पटना, दिनांक– 23/9/25

प्रतिलिपिः–निदेशक, श्रम मंत्रालय (वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली / निदेशक, श्रम व्यूरों, शिमला एवं चंडीगढ़ / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना / मुख्य सचिव, बिहार, पटना / बिहार सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप श्रमायुक्त / सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा / सभी सहायक श्रमायुक्त / सभी श्रम अधीक्षक / निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना / मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना / मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना / सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक / सभी कारखाना निरीक्षक / मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22.9.25
(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।